RCMS 2019/00180

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. 82 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी पोकरसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम तहसील सुजानगढ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खारियाकनीराम की जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता खंख्या नया – 26, खाता खंख्या पुराना – 25 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पोखरराम पुत्र छोटूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का अन्य दस्तावेज आधार कार्ड व परिचय पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम पोकरसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम है। प्रार्थी का नाम पोकरसिंह पुत्र छोटूराम किया जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2073–76 खाता खंख्या नया –26 खाता खंख्या पुराना –25 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पोखरराम पुत्र छोटूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम पोकरसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारियाकनीराम तहसील सुजानगढ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में खाता खंख्या नया – 26, खाता खंख्या पुराना – 25 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	खारियाकनीराम	26/25	पोखरराम पुत्र छोटूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम	पोकरसिंह पुत्र छोटूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम

राहिन की प्रविष्ट यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ